न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण संख्या 11/2026 (GCMS: 2026/22)
(RTI No. : 212355442847368)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 88750-89377)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

09.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा न्यायिक भवन के निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी, परन्तु निर्माण हो रहा है।
2. नपारा द्वारा बेसमेन्ट के लिए निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी है परन्तु अवैध निर्माण को नहीं रोका गया।
3. नपारा द्वारा जी+3 मंजिलों के लिए निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी परन्तु निर्माण कार्य चल रहा है।
4. राजस्व अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा आवासीय भूमि को न्यायिक भवन बाबत भू-उपायोग परिवर्तन नहीं किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व व कर्तव्य का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ [illegible] है, उसकी प्रमाणित प्रति दी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का संबंध नगरपालिका, रायसिंहनगर से होने के कारण, **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/[illegible] दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र एवं पत्रांक आरटीआई/2026/105 दिनांक 20.02.2026 से अपील भी अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर को स्थानान्तरित कर दी थी। अधिशाषी अधिकारी ने अपने पत्रांक राजस्व/3043 दिनांक 20.02.2026 से प्रार्थी को निम्न प्रकार से जवाब प्रेषित किया हैः

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 11 / 2026
(GCMS: 2026/22)
(RTI No. 212355442847368)
नक्षत्र सिंह बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

क्र. सं.	सूचना का विवरण	उत्तर
1	नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा न्यायिक भवन के निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी परन्तु निर्माण हो रहा है।	चाही गई सूचना किसी प्रकार की स्पष्ट एवं सटीक अभिलेखीय विशिष्टियों का वर्णन नहीं किया गया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के खण्ड (च)(झ) तथा (ञ) में उपबन्धित प्रावधानों की परिधि में स्पष्ट एवं सटीक अभिलेखीय विशिष्टियों का प्रस्तुतीकरण विधितः बाध्यकारी है। आप द्वारा की गयी अध्यपेक्षा शिकायत से संबंधित है। जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना प्रकोष्ठ के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना की व्याख्या करना या उठायी गयी समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।
2	नपारा द्वारा बेसमेन्ट के लिए निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी है परन्तु अवैध निर्माण को नहीं रोका गया।	
3	नपारा द्वारा जी+3 मंजिलों के लिए निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी परन्तु निर्माण कार्य चल रहा है।	
4	राजस्व अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा आवासीय भूमि को न्यायिक भवन बाबत भू–उपायोग परिवर्तन नहीं किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व व कर्तव्य का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आप द्वारा जो कार्यवाही की गयी है, उसकी प्रमाणित प्रति दी जाये।	

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, जो सही प्रतीत होता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर खारिज [illegible] अपीलार्थी यदि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर के जवाब से [illegible] तो वह सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील [illegible] स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:23:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन अनुसार [illegible] खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिका[illegible] रायसिंहनगर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर